



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 2014/फाल्गुन 23, 1935

No. 661]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 2014/PHALGUNA 23, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 773(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 169 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
"169	50	आंध्र प्रदेश राज्य में नया रारा-161 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बीदर, होमनाबाद, गुलबर्गा, जेवारगी, बीजापुर, हौसपेट को जोड़ते हुए और कर्नाटक राज्य में लक्ष्मीसागर के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-6)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण .—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364(अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O. 773(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial numbers 169, and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"169	50	The highway starting from its junction with new NH No. 161 in the State of Andhra Pradesh connecting Bidar, Homnabad, Gulbarga, Jevargi, Bijapur, Hospet and terminating at its junction with NH-48 near Lakshmisagara in the State of Karnataka.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-6)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote.—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 364(E), dated 10th February, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 774(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तंभ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
238	367	कर्नाटक राज्य में भानापुर के निकट रारा-67 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कुकुनूर, एलबर्गा, गजेंद्रगाड, बदामी, गुलेडागुडा, बागलकोटे, बागलकोट को जोड़ने वाला और गड्डनकेरी के निकट नया रारा-52 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
239	173	कर्नाटक राज्य में गुदीगेरे के निकट रारा-73 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर चिकमगलूरु को जोड़ने वाला और कडूर के निकट नया रारा-69 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
240	275	कर्नाटक राज्य में बंतवाला के निकट रारा-75 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पुत्तूर, सुलया, मादीकेरी, प्रियापटना मैसूरु, श्रीगंगापट्टना, मांड्या, चन्नापट्टनम, रमनाग्रामम को जोड़ने वाला और नया रारा-75 के साथ बंगलूरु पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
241	150 ए	कर्नाटक राज्य में जेवारगी के निकट रारा-50 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर सीरीगुप्पा, बेल्लारी, हिरीयुर, हुलीयुर, चिक्कानायाकानाहल्ली, नागामंगला श्रीरंगापटना, मैसुर, नंनजानगुड को जोड़ने वाला और रारा-948 के साथ चमाराजानगर पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-6)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण.—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364(अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O. 774(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
“238	367	The highway starting from its junction with NH-67 near Bhanapur connecting Kukunur, Yelburga, Gajendragad, Badami, Guledaguda, Bagalkote, Bagalkot and terminating at its junction with new NH No. 52 near Gaddankeri in the State of Karnataka.

239	173	The highway starting from its junction with NH-73 near Mudigere connecting Chikkamagaluru and terminating at its junction with new NH No. 69 near Kadur in the State of Karnataka.
240	275	The highway starting from its junction with NH-75 near Bantwala connecting Puttur, Sulya, Madikeri, Priyapatna Mysuru, Srirangapattana, Mandya, Channapatnam, Ramanagaram and terminating at its junction with new NH No. 75 on Bengaluru in the State of Karnataka.
241	150A	The highway starting from its junction with NH-50 at Jevargi connecting Siriguppa, Bellary, Hiriur, Huliur, Chikkanayakanahalli, Nagamangala Srirangapatna-Mysore-Nanjangud and terminating at its junction with NH-948 at Chamarajanagar in the State of Karnataka.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-6)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote.—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 364(E), dated 10th February, 2014.